

फर्द अहकाम

वतदीय

बनाम नारायणी

नाम न्यायालय - रायपुर कलकत्ता (जा.सं.) - 10

फैसल संख्या 38/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/01/21	वनवादी उपन पत्रावली बनाया जाने का दिनांक 28/01/21 को फैसल है।
	28/01/21	वनवादी उपन पत्रावली व-उद्देश्य का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्राप्त उद्देश्य में खंड नं० 828 का कुल रकबा 0.84 हे० है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव में 828/1 रकबा 0.77 हे० व 828/2 रकबा 0.05 हे० अंकित किया है जो कि 0.02 हे० कम अंकित है। अतः इस शब्दों में 70R यॉमू का रिपोर्ट हेतु गहरा जा रही है। पत्रावली प्राप्त देखने रिपोर्ट दिनांक 15/02/21 को फैसल है।
	15/02/21	वनवादी उपन पत्रावली अंतर्गत रिपोर्ट दिनांक 04/03/21 को फैसल है।
	04/03/21	वनवादी उपन प्रकरण में 70R यॉमू की रिपोर्ट पूर्व में फैसल हुई है। इस सुनवाई एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वारी का वाद स्वीकार किया जाता है। विषय निम्न प्रकार से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली कि गाना अनिम डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल सुनवाई होकर रूनी नम्बर से कम है एवं हाशिल उपनर है।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) रायपुर

वकील/अडवोकेट/का. रि. मा. वि. (फास्ट ट्रेक) रायपुर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) रायपुर



न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा०ट्रै०) चौमूँ, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी - सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं०:- 38/2015

उनवान

मनोज कुमार शर्मा पुत्र बाबुलाल शर्मा जाति ब्राम्हण, निवासी ए-175, जोशी मार्ग,
कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर।

-प्रतिस्थापित वादी-

बनाम

1. नारायणी पत्नी लाला
2. रामलाल
3. पप्पू
4. सुरज्ञान
5. रामनिवास
6. मेवाराम
7. जन्तर देवी पत्नी मदन
8. रिछपाल
9. राहुल
10. हंसा
11. पार्वती
12. बबली
13. जयपाल
14. सुरेश
15. मुकेश
16. संज्या देवी पत्नी स्व० नानू
17. प्रेम देवी
18. सजना देवी
19. संती
20. मनभरी
21. गोपीराम
22. सुण्डाराम पुत्र नन्दाराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हाथनोदा तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
23. नाथूलाल पुत्र नारायण
24. मंगली
25. सुन्दरी
26. मनभर
27. नानगी पत्नी रुघा
28. सुरज्ञान
29. जगदीश
30. गोपाल
31. छीगनी
32. लाडा
33. मुरली पत्नी प्रभात
34. मदन
35. औमप्रकाश
36. फुली

पिता लाला

पिता मदन
नाबालिक जरिये संरक्षक
माता जन्तर देवी

पिता नानू

पिता नानू

पिता नारायण

पिता रुघा

पिता प्रभात

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूँ (जयपुर)

37. सुमन पिता प्रभात
 38. सुगी देवी पत्नी सुरज्ञान
 39. नारायण पुत्र नानू
 40. गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र नानू
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हाथनोदा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
 41. रामेश्वरी पत्नी भूरानाथ
 42. बाबूलाल
 43. बोदूराम
 44. प्रभूदयाल
 45. कैलाशी
 46. मंजू
 47. गीता देवी पत्नी किशोर
 48. राजू
 49. सुशील
 50. अनिता
- समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम हाथनोदा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
51. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा चौमूं जयपुर।
 52. शाखा प्रबन्धक, ओ.बी.सी. बैंक शाखा चौमूं जयपुर।
 53. उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर
 54. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :-04.03.2021

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2018 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रैजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। वकिल वादी ने अपनी बहस में कथन किया है की वाद में तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी कि जावें। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रैजात प्रस्ताव पर वकिल वादी द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया है तथा कुर्रैजात अनुसार दावे में अन्तिम रूप से अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः प्राप्त कुर्रैजात प्रस्ताव स्वीकार किये जाता है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री कि जाती है।

1. मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल जाति ब्राम्हण निवासी जोशी मार्ग कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 828/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 835/2 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. गोपाल उर्फ गोपीराम, जयपाल, मुकेश, सुरेश पिता नानू हिस्सा 154/548 राहिन ओ०बी०सी० चौमूं, नारायण पुत्र नानू हिस्सा 42/548 जन्तर पत्नि मदन, पार्वती, बबली, राहुल पिता मदन हिस्सा 16/548 बबली ना.बा. सरंक्षक माता जन्तर देवी

W
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

नारायणी पत्नि लाला पप्पू मेवाराम, रामनिवास, रामलाल, सुरज्ञान पिता लाला हिस्सा 292/548 राहिन ओ०बी०सी० चौमूं, प्रेम मनभरी सजना सन्ती पुत्रियान नानू हिस्सा 11/548 संज्या पुत्री नानू हिस्सा 25/548 राहिन ओ०बी०सी० बैंक चौमूं, रिछपाल, हंसा पिता मदन हिस्सा 8/548 जाति गुर्जर सा० देह खातेदार का खसरा नम्बर 827 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 828/1 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 829 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 835/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 835/3 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 10 का कुल रकबा 5.48 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

3. जयपाल, सुरेश, मुकेश पिता नानू हिस्सा 12/248 संज्या पत्नि नानू हिस्सा 5/496 नारायण पुत्र नानू हिस्सा 9/496 गोपाल उर्फ गोपीराम पिता नानू हिस्सा 92/496 राहिन ओ०बी०सी० बैंक चौमूं, सूर्याराम पिता नन्दाराम हिस्सा 62/248 प्रेम सजना सन्ती मनभरी पुत्रिया नानू हिस्सा 3/496 नारायणी पत्नि लाला, रामलाल, पप्पू, सुरज्ञान, रामनिवास, मेवाराम पिता लाला हिस्सा 35/248 जन्तर देवी पत्नि मदन, रिछपाल राहुल हंसा पार्वती बबली पिता मदन नाबा० माता जन्तर देवी हिस्सा 5/496 सुरज्ञान, गोपाल पिता रुघा हिस्सा 31/496 गंगा देवी पत्नि जगदीश मालीराम, धन्नालाल मन्जूदेवी माया देवी पिता जगदीश हिस्सा 8/248 छीगनी लाडा पुत्रिया रुघा 31/496 मुरली पत्नि स्व० प्रभात, मदन ओमप्रकाश पिता प्रभात, फूली सुमन पुत्रिया प्रभात हिस्सा 7/248 मुंगी देवी पत्नि सुरज्ञान हिस्सा 7/248 सुरज्ञान सुवालाल गोपाल छिगनी लाडा देवी पिता सुवालाल गोपाल छिगनी लाडा देवी पिता रुघाराम हिस्सा 5/248 मुरली देवी पत्नि प्रभात, मदन ओमप्रकाश फूली देवी पिता प्रभात हिस्सा 1/248 कौम गुर्जर नाथूलाल पुत्र नारायण लाल हिस्सा 21/248 बाबूलाल बोदूराम प्रभुदयाल पिता भूरानाथ हिस्सा 6/248 रामेश्वरी पत्नि भूरानाथ कैलाशी मंजू, सजना पुत्रियान भूरानाथ हिस्सा 6/248 गीता पत्नि किशोर अनिता पुत्री किशोर हिस्सा 5/248 राजू सुशील पिता किशोर हिस्सा 31/496 सा०देह जाति जोगी कुल किता 7 का कुल रकबा 2.48 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



W
सहायक कलक्टर
(फा०ट्रेड/मुख्यालय)चौमूं
चौमूं (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं०:-38/15

उनवान

मनोज कुमार शर्मा पुत्र बाबुलाल शर्मा जाति ब्राम्हण, निवासी ए-175, जोशी मार्ग,
कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर।

-प्रतिस्थापित वादी-

बनाम

1. नारायणी पत्नी लाला
2. रामलाल
3. पप्पू
4. सुरज्ञानपिता झाला
5. रामनिवास
6. मेवाराम
7. जन्तर देवी पत्नी मदन
8. रिछपाल
9. राहुल
10. हंसा
11. पार्वती
12. बबली
13. जयपाल
14. सुरेश
15. मुकेश
16. संज्या देवी पत्नी स्व० नानू
17. प्रेम देवी
18. सजना देवी
19. संती
20. मनमरी
21. गोपीराम
22. सुण्डाराम पुत्र नन्दाराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हाथनोदा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
23. नाथूलाल पुत्र नारायण
24. मंगली
25. सुन्दरी
26. मनमर
27. नानगी पत्नी रुघा
28. सुरज्ञान
29. जगदीश
30. गोपाल
31. छीगनी
32. लाडा
33. मुरली पत्नी प्रभात
34. मदन
35. औमप्रकाश

WM
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

36. फुली पिता प्रभात
 37. सुमन पिता प्रभात
 38. गुणी देवी पत्नी सुरज्ञान
 39. नारायण पुत्र नानू
 40. गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र नानू
 - समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हाथनोदा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
 41. रामेश्वरी पत्नी भूरानाथ
 42. बाबूलाल
 43. चोदूराम
 44. प्रभूदयाल
 45. कैलाशी
 46. मंजू
 47. गीता देवी पत्नी किशोर
 48. राजू
 49. सुशील
 50. अनिता
- पिता भूरानाथ
- पिता किशोर
- समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम हाथनोदा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
51. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा चौमूं जयपुर।
 52. शाखा प्रबन्धक, ओ.बी.सी. बैंक शाखा चौमूं जयपुर।
 53. उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय, चौमूं जिला जयपुर
 54. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरु हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरु सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

1. मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल जाति ब्राम्हण निवासी जोशी मार्ग कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 828/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 835/2 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. गोपाल उर्फ गोपीराम, जयपाल, मुकेश, सुरेश पिता नानू हिस्सा 154/548 राहिन ओ०बी०सी० चौमूं, नारायण पुत्र नानू हिस्सा 42/548 जन्तर पत्नि मदन, पार्वती, बबली, राहुल पिता मदन हिस्सा 16/548 बबली ना.वा. सरंक्षक माता जन्तर देवी नारायणी पत्नि लाला पप्पू मेवाराम, रामनिवास, रामलाल, सुरज्ञान पिता लाला हिस्सा 292/548 राहिन ओ०बी०सी० चौमूं, प्रेम मनभरी सजना सन्ती पुत्रियान नानू हिस्सा 11/548 संज्या पुत्री नानू हिस्सा 25/548 राहिन ओ०बी०सी० बैंक चौमूं, रिछपाल, हंसा पिता मदन हिस्सा 8/548 जाति गुर्जर सा० देह खातेदार का खसरा नम्बर 827 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 828/1 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 829 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 835/1 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 835/3 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 10 का कुल रकबा 5.48 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. जयपाल, सुरेश, मुकेश पिता नानू हिस्सा 12/248 संज्या पत्नि नानू हिस्सा 5/496 नारायण पुत्र नानू हिस्सा 9/496 गोपाल उर्फ गोपीराम पिता नानू हिस्सा 92/496

वत
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

राहिन ओ०बी०सी० बैंक चौमूं, सूण्डाराम पिता नन्दाराम हिस्सा ६२/२४८ प्रेम सजना सन्ती मनमरी पुत्रिया नानू हिस्सा ३/४९६ नारायणी पत्नि लाला, रामलाल, पप्पु, सुरज्ञान, रामनिवास, मेवाराम पिता लाला हिस्सा ३५/२४८ जन्तर देवी पत्नि मदन, रिछपाल राहुल हंसा पार्वती बबली पिता मदन नाबा० माता जन्तर देवी हिस्सा ५/४९६ सुरज्ञान, गोपाल पिता रुघा हिस्सा ३१/४९६ गंगा देवी पत्नि जगदीश मालीराम, धन्नालाल मन्जूदेवी माया देवी पिता जगदीश हिस्सा ८/२४८ छीगनी लाडा पुत्रिया रुघा ३१/४९६ मुरली पत्नि स्व० प्रभात, मदन ओमप्रकाश पिता प्रभात, फूली सुमन पुत्रिया प्रभात हिस्सा ७/२४८ मुंगी देवी पत्नि सुरज्ञान हिस्सा ७/२४८ सुरज्ञान सुवालाल गोपाल छिगनी लाडा देवी पिता सुवालाल गोपाल छिगनी लाडा देवी पिता रुघाराम हिस्सा ५/२४८ मुरली देवी पत्नि प्रभात, मदन ओमप्रकाश फूली देवी पिता प्रभात हिस्सा १/२४८ कौम गुर्जर नाथूलाल पुत्र नारायण लाल हिस्सा २१/२४८ बाबूलाल बोदूराम प्रभुदयाल पिता भूरानाथ हिस्सा ६/२४८ रामेश्वरी पत्नि भूरानाथ कैलाशी मंजू, सजना पुत्रियान भूरानाथ हिस्सा ६/२४८ गीता पत्नि किशोर अनिता पुत्री किशोर हिस्सा ५/२४८ राजू सुशील पिता किशोर हिस्सा ३१/४९६ सा०देह जाति जोगी कुल किता ७ का कुल रकबा २.४८ हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी मबलिक बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह

फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरात मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख को जारी किया गया।

मोहर



दस्तखत

ओहदा.....

W
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
१. स्टाम्प अर्जी दावा	२	१. स्टाम्प अर्जी दावा	०
२. स्टाम्प वकालतनामा	१	२. स्टाम्प वकालतनामा	
३. स्टाम्प वजह सबूत		३. महन्ताना वकील	
४. महन्ताना वकील		४. खर्चा गवाहन	
५. खर्चा गवाहन		५. फीस कमिश्नर	
६. फीस कमिश्नर		६. बाबत इजराय	
७. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		७. मुतफरिक	
८. मुतफरिक			
जोड़	३	जोड़	०

W
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फा० ट्रे०) चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा शर्मा(R.A.S.)
उत्तवान

बलदेव पुत्र श्री नानू उम्र 32 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूँ, जिला
जयपुर(राज.)

-वादी

बनाम

1. नारायणी पत्नी लाल
2. रामलाल पिता लाल
3. पप्पू पिता लाल
4. सुरज्ञान पिता लाल
5. रामनिवास पिता लाल
6. मेवाराम पिता लाल
7. जन्तर देवी पत्नी मदन
8. रिछपाल पिता मदन
9. राहुल पिता मदन
10. हसा पिता मदन
11. पार्वती पिता मदन
12. बबली पिता मदन
13. जयपाल पिता नानू
14. सुरेश पिता नानू
15. मुकेश पिता नानू
16. संज्या देवी पत्नी स्व. नानू (मृतक दौराने दावा)
17. प्रेम देवी पिता नानू
18. सजना देवी पिता नानू
19. संती पिता नानू
20. मनमरी पिता नानू
21. गोपीराम पिता नानू

नाबालिक जरिये संरक्षक
माता जन्तर देवी।

समस्त जाति गुर्जर
निवासी ग्राम हाथनोदा
तहसील चौमूँ जिला जयपुर

22. सुण्डाराम पुत्र नन्दाराम
23. नाथूलाल पुत्र नारायण
24. मंगली पिता नारायण
25. सुन्दरी पिता नारायण
26. मनशर पिता नारायण

समस्त जाति जोगी
निवासी हाथनोदा
तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

27. नानगी पत्नी रुघा
28. सुरज्ञान पिता रुघा
29. जगदीश पिता रुघा
30. गोपाल पिता रुघा
31. छीगनी पिता रुघा
32. लाडा पिता रुघा
33. मुरली पत्नी प्रभात
34. मदन पिता प्रभात
35. औमप्रकाश पिता प्रभात
36. फुली पिता प्रभात
37. सुमन पिता प्रभात
38. मुगी देवी पत्नी सुरज्ञान
39. नारायण पुत्र नानू
40. गोपीराम उर्फ गोपाल पुत्र नानू

समस्त जाति गुर्जर
निवासी ग्राम हाथनोदा
तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

41. रामेश्वरी पत्नी भूरानाथ
42. बाबूलाल पिता भूरानाथ

समस्त जाति जोगी निवासी हाथनोदा
तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

W
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

43. बोदूराम पिता भूरानाथ
44. प्रभूदयाल पिता भूरानाथ
45. कैलाशी पिता भूरानाथ
46. मजू पिता भूरानाथ
47. गीता देवी पत्नी किशोर
48. राजू पिता किशोर
49. सुशील पिता किशोर
50. अनिता पिता किशोर

समस्त जाति जोगी निवासी हाथनोदा
तहसील चौमू जिला जयपुर।

- समस्त जाति जोगी निवासी हाथनोदा तहसील चौमू जिला जयपुर।
51. शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा चौमू जयपुर।
 52. शाखा प्रबंधक महोदय, ओ.बी.सी. बैंक शाखा चौमू जयपुर।
 53. उप पंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय, चौमू जिला जयपुर(राज.)।
 54. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :-30.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 50 वाके ग्राम हाथनोदा तहसील चौमू जिला जयपुर(राज.) के पुश्तैनी रूप से रहने वाले है, तथा काश्तकार पैशा व्यक्ति है, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 50 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि वाके ग्राम हाथनोदा तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 50 काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ग्राम हाथनोदा तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 213 जिसके आराजी खसरा नम्बर 827 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.84 है, खसरा नम्बर 829 रकबा 1.17 है, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.94 है, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.01 है, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.01 है, खसरा नम्बर 833 रकबा 1.28 है, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.94 है कुल किता 9 का कुल रकबा 5.90 हैक्टेयर एवं भूमि संख्या 214 जिसके आराजी खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.24 है, खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.06 है, खसरा नम्बर 1092 रकबा 0.25 है, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.50 है, खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.76 है, खसरा नम्बर 1094/2200 रकबा 0.22 है, खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.45 है कुल किता 7 का कुल रकबा 2.48 है भूमि स्थित हैं, उक्त भूमि ही इस वाद पत्र में विवादित है। भूमि विवादग्रस्त खाता संख्या 213 में वादी का हिस्सा 44/42 भाग एवं भूमि खाता संख्या 214 में वादी का हिस्सा 44/168 भाग निहित है तथा शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज चला आ रहा है, तथा सभी खातेदारान मौके पर मनबट के आधार पर बंटवारे में आई भूमियों का अपने-अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, तथा लगान सरकारी अपने अपने हिस्से अनुसार सरकार में जमा कराते आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 50 उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार असे दराज से मनबट के आधार पर शामिलती में काश्त करते आ रहे हैं एवं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 50 ने अपने-अपने हिस्से की भूमि पर मनबट के आधार पर हिस्से में आई भूमि पर पुख्ता मकानात आदि बनाकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, उक्त आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं हुआ है, उक्त भूमि मौके पर मनबट के आधार पर उक्त भूमि बांट रखी है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अभी तक शामिलती अविभाजित भूमि है, जिसका विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। जमीनों की कीमतों आसमा छु जाने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की नियम में फितूर आ गया है, इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 अन्य खातेदारों से मिलिभगत कर वादी के मनबट के आधार पर हिस्से में आई भूमि में अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं, तथा आये दिन वादी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं, तथा बाला-बाला वादी के हिस्से की भूमि पर ऐन-केन प्रकारेण कब्जा करने को आमादा रहते हैं, तथा बिना विधिवत तकासमा हुये ही भू-माफियाओं को बैचान कर कब्जा करवाने पर आमादा है, तथा वादी को लठ के बल पर बेदखल पर आमादा है। दिनांक 20.05.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 जब आपस में मिलिभगत कर अपने साथ कुछ भू-माफियाओं

लेकर आये तथा उक्त भूमि सम्पूर्ण पर कब्जा करने की गरज से मौके पर आये तथा भूमि विवादग्रस्त की प-जोख करने लगे तब वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को मना किया व कहां की उक्त भूमि शामिली व अविभाजित है तथा उक्त भूमि का अभी तक राजस्व रिकार्ड में विधिवत तकासमा नहीं हुआ है, जब तक विधिवत तकासमा नहीं हो जाता है, तब तक उक्त भूमि के किसी भी हिस्से को बैचान नहीं करें, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 उग्र हो गये एवं याली गलोच कर ऐलानिया धमकी देने लगे कि हम तो उक्त भूमि सम्पूर्ण को बाला-बाला भू-माफियाओं को बैचान कर कब्जा करवाकर तुम्हें जबरन बेदखल करके ही रहेंगे। वादी को कानूनन हक अधिकार हांसिल हैं कि वह न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि विवादग्रस्त का कब्जे की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये रकबा बराबर करते हुये तकासमा करवाये तथा अपने हिस्से की भूमि के खाते का पृथक से पर्चा लगान कायम करवाये एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि वे भूमि विवादग्रस्त में ना ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करे, ना ही जबरन उक्त भूमि में बिना तकासमा हुये इसके किसी भी भू-भाग को भू-माफियाओं को बैचान करे ना ही उक्त भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर कोई खाम व पुख्ता निर्माण करें, ना ही वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर बेदखल करे, ना ही वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही प्रतिवादी संख्या 53 वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेख पत्र को पंजीबद्ध करे, ना ही प्रतिवादी संख्या 54 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करे, ना ही प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवाये न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त भूमि विवादग्रस्त का उपरोक्तनुसार पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 अन्य खातेदारों से मिलिभगत कर वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के मनबट के आधार पर हिस्से में आई भूमि से वादी को जबरिया बेदखल कर कब्जा कर लेंगे। जिससे वादी को अपूर्णाय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रुपयों में किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा एवं इससे वाद बहुल्यता भी बढ़ेगी। वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि वाद वादी बाबत् तकासमा का डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कब्जे की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये रकबा बराबर करते हुये तकासमा किया जावे तथा वादी के हक हिस्से अनुसार खातेदारी का पृथक-पृथक पर्चा लगान कायम किया जावे, तथा सिंचाई औसरे कायम कायम करवाये जावें। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि वे भूमि विवादग्रस्त में ना ही तकासमा हुये इसके किसी भी भू-भाग को भू-माफियाओं को बैचान करे, ना ही वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर बेदखल करे, ना ही प्रतिवादी संख्या 53 वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेख पत्र को पंजीबद्ध करे, ना ही प्रतिवादी संख्या 54 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करे, ना ही प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवाये।

वादीगण का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 व 17 ता 54 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 16 की मृत्यु होने से मृतक दौराने दावा अंकित किया गया। प्रतिवादीगण की सामान्य तलबी व शेष प्रतिवादी संख्या 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 45, 46 की तलबी अखबार से कराने के उपरान्त भी अनुपस्थित। बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र PW1 व PW2 पेश किये। न्याय आपके द्वार कैम्प हाथनौदा में प्रतिवादी संख्या 30 गोपाल ने उपस्थित होकर अपनी जिम्मेदारी पर अपने भाईयों बाबत कथन किया की प्रकरण में हक कब्जे-काशत, सरस नरस, रास्ते की प्राथमिकता अनुसार रहवास को ध्यान में रखते हुये यदि तकासमा किया जाता है तो हम सहमत है। मौखिक निवेदन किया।

वकिल वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 30 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा करने हेतु सहमती दी है। लिहाजा हम प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करना उचित मानते है। वादी रिकार्ड्ड खातेदार काशतकार है जिसे वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा विवादित भूमि खाता संख्या 213 जिसके आराजी खसरा नम्बर 827 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.84 है०, खसरा नम्बर 829 रकबा 1.17 है०, खसरा नम्बर 830 रकबा 0.94 है०, खसरा नम्बर 831 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 833 रकबा 1.28 है०, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 835 रकबा 0.94 है० कुल किता 9 का कुल रकबा 5.90 हैक्टेयर एवं भूमि संख्या 214 जिसके आराजी खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.24 है, खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 1092 रकबा 0.25 है०, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.50 है०, खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.76 है०, खसरा नम्बर 1094/2200 रकबा 0.22 है०, खसरा

1095 रकबा 0.45 है0 कुल किता 7 का कुल रकबा 2.48 है0 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रत्येक सहखातेदार के रास्ते का ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत तकासमा करने हेतु तहसीलदार चौमूं को मौका कमिश्नर मुकर्रर किया जाता है। कमिश्नर बटवारे की दिनांक वाबत पक्षकारान को अपने स्तर पर पहले सूचित करे। बटवारे में मृतददिया भूमि में सहखातेदारो के पूर्व में कब्जे काशत पेटर्न को यथा सम्भव मध्य नजर रखा जावे। बटवारा फ़ैहरिस्त मय तितम्मा ट्रेस दो परत में तरतीब की जाकर सात दिवस में न्यायालय में पेश करे। निर्णय अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो तथा प्रारम्भिक डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



W
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)